2021 का विधेयक संख्यांक 163

[दि प्रोहिबिशन आफ चाइल्ड मैरिज (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह धारा और धारा 2, धारा 3 का खंड (ii), धारा 5 और अनुसूची के क्रम संख्या 5 में वर्णित अधिनियमिति में संशोधन उस तारीख को प्रभावी होंगे, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है ; और अन्य उपबंध सहमति की तारीख से दो वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् प्रवृत्त होंगे तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के प्रति ऐसे किसी उपबंध में किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति लगाया जाएगा ।

धारा 1 का संशोधन।

2. बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में "और यह भारत से बाहर तथा बाहर के परे, भारत के सभी नागरिकों को" शब्दों के पश्चात् "भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936, मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होना अधिनियम, 1937, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विवाह के संबंध में कोई अन्य प्रथा या रूढ़ि या व्यवहार में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

2007 का 6
1872 का 15
1936 का 3
1937 का 26
1954 का 43
1955 का 25
1969 का 33

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "बालक" से ऐसा पुरुष या स्त्री अभिप्रेत है जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;'

(ii) खंड (ख) में "दोनों पक्षकारों में से" शब्दों के पश्चात्, "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल या असंगत किसी बात के होते हुए भी, जिसके अंतर्गत पक्षकारों को शासित करने वाली कोई प्रथा या रुढ़ि या व्यवहार भी है, कोई बालक है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 14क का अंतःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

"14क. इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल या असंगत किसी बात के होते हुए भी, जिसके अंतर्गत पक्षकारों को शासित करने वाली कोई प्रथा या रुढ़ि या व्यवहार भी है, प्रभाव होगा ।"।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन ।

6. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसमें वर्णित रीति में संशोधन किया जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 6 देखें)

क्रम सं.	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1872	15	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872	धारा 60 के खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(1) विवाह का आशय रखने वाले पुरुष और स्त्री की आयु इक्कीस से कम नहीं होगी ;"।
2.	1936	3	पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936	(क) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) में "यदि वह महिला है तो अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है" शब्दों के स्थान पर "यदि वह महिला है तो इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है" शब्द रखे जाएंगे ; (ख) दूसरी अनुसूची में "यदि विवाह के पक्षकार इक्कीस वर्ष से कम आयु के हैं तो उनके पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
3.	1954	43	विशेष विवाह अधिनियम, 1954	धारा 4 के खंड (ग) में "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।
4.	1955	25	हिंदू विवाह अधिनियम, 1955	(क) धारा 5 के खंड (iii) में "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ; (ख) धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (iv) में "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।
5.	1956	32	हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956	(i) धारा 6 में,— (I) खंड (क) में "किसी लड़के या अविवाहिता लड़की" शब्दों के स्थान पर "कोई धर्मज लड़का या कोई धर्मज लड़की" शब्द रखे जाएंगे ; (II) खंड (ख) में "अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहिता लड़की" शब्दों के स्थान पर "अधर्मज लड़के या अधर्मज लड़की" शब्द रखे जाएंगे ; (III) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ; (ii) धारा 9 की उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	1956	78	हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956	धारा 7 और धारा 8 में "अप्राप्तवय न हों" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "इक्कीस वर्ष से कम आयु का न हो" शब्द रखे जाएंगे ।
7.	1969	33	विदेशी विवाह अधिनियम, 1969	धारा 4 के खंड (ग) में "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 द्वारा बाल-विवाहों के अधिष्ठापन का प्रतिषेध करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था, किंतु इस अत्यंत दुखदाई प्रथा का हमारे समाज से पूर्णतया उन्मूलन अभी तक नहीं हुआ है । इसलिए, इस सामाजिक बुराई को दूर करने और उसमें सुधार लाने की तुरंत आवश्यकता है । हम प्रगति का दावा तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक महिलाएं सभी मोर्चों पर प्रगति न कर लें, जिसके अंतर्गत उनका शारीरिक, मानसिक और पुनर्जनन स्वास्थ्य भी सम्मिलित हैं । अधिनियमितियां, अन्य बातों के साथ, पक्षकारों के विवाह की आयु जैसे भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936, मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होना अधिनियम, 1937, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की एक समान न्यूनतम आयु का उपबंध नहीं करती है ।

2. संविधान मूल अधिकारों के एक भाग के रूप में लैंगिक समानता की गारंटी देता है और लिंग के आधारों पर भेदभाव को प्रतिषिद्ध करने की भी गारंटी देता है । विद्यमान विधियां पर्याप्त रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच विवाह योग्य आयु की लैंगिक समानता के संवैधानिक जनादेश को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं करती है । महिलाएं प्राय: उच्चतर शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता प्राप्त करने और कौशल आदि के संबंध में हमेशा से अफायदाप्रद स्थिति में रखी जाती रही हैं । स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लड़कियां का विवाह करने से पूर्व रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश और कार्य दल का एक हिस्सा होना भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है । यह अफायदाप्रद स्थिति महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता को जन्म देती है । मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी करने और साथ ही पौष्टिकता के स्तरों में सुधार और जन्म के समय लैंगिक अनुपात में वृद्धि में सुधार अत्यावश्यक है, क्योंकि इससे पिता और माता दोनों के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण अभिभावकता की संभावनाओं में वृद्धि होगी और उन्हें उनके बालकों की बेहतर देखरेख करने में अधिक सक्षम बनाएगी । बालिकाओं द्वारा गर्भ धारण की घटनाओं में कमी करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे न केवल यह महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य के लिए हानिकर है किंतु इसका परिणाम और अधिक गर्भपात और मृतक शिशु जन्म के रूप में भी है । महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव भरणीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते में भी आता है, जो महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन करने के अभिसमय के अधीन परिकल्पित सिद्धांतों के विरुद्ध है, इस अभिसमय का भारत एक हस्ताक्षकर्ता है । लैंगिक असमानता और लैंगिक भेदभाव पर ध्यान देकर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में और अधिक सुधार लाना आवश्यक है और स्वास्थ्य, कल्याण और महिलाओं तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण को हासिल करने के लिए पर्याप्त उपाय करना तथा उनके लिए पुरुषों के समतुल्य प्रास्थिति और अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

3. समग्र रीति में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें स्वयं विनिश्चय करने में समर्थ बनाने के लिए, विधेयक अन्य बातों के साथ–

(i) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का उसके लागू होने का और सुदृढ़ करने का सभी अन्य विद्यमान विधियों पर, जिसके अंतर्गत विवाह के संबंध में पक्षकारों को शासित करने वाली कोई प्रथा रुढ़ि या पद्धति है, पर प्रवृत्त करने के लिए संशोधन करने का ;

(ii) महिलाओं को विवाह योग्य आयु के निबंधनों के अनुसार पुरुषों के समतुल्य करने का ;

(iii) पक्षकारों को शासित करने वाली किसी विधि, प्रथा, रुढ़ि या पद्धति के होते हुए भी बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने का ;

(iv) यह घोषित करने का कि अधिनियम के उपबंधों का पक्षकारों को शासित करने वाली प्रत्येक अन्य विधि, प्रथा, रुढ़ि या पद्धति पर अध्यारोही प्रभाव करने का ;

(v) विवाह से संबंधित अन्य विधियों में पारिणामिक संशोधन करने का ; और

(vi) हमारे सामूहिक प्रयासों और समावेशी वृद्धि में सभी को पर्याप्त अवसर देने के लिए विधेयक को सहमति मिलने की तारीख से संशोधनों को विवाह योग्य आयु के संबंध में दो वर्ष के पश्चात् प्रभावी करने के लिए तथा अन्य उपबंधों को तुरंत लागू करने का,

प्रस्ताव करता है ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

स्मृति ज़ूबिन इरानी

नई दिल्ली ;
20 दिसंबर, 2021

उपाबंध

बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 6) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*

1. (1)　　*　　*　　*　　*

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ; और यह भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को भी लागू होता है :

परंतु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रेनोंसाओं को लागू नहीं होगी ।

*　　*　　*　　*　　*

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

(क) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;

(ख) "बाल-विवाह" से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है ;

*　　*　　*　　*　　*

भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का अधिनियम संख्यांक 15) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*

भाग 6

भारतीय क्रिश्चियनों का विवाह

60. प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले [2][भारतीय] क्रिश्चियनों के बीच प्रत्येक विवाह, भाग 3 के अधीन अपेक्षित प्रारम्भिक सूचना के बिना, इस भाग के अधीन उस दशा में प्रमाणित किया जाएगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, न कि अन्यथा,—

भारतीय क्रिश्चियनों के विवाहों को प्रमाणित करने की शर्तें ।

(1) विवाह का आशय रखने वाले पुरुष की आयु इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी] और विवाह का आशय रखने वाली स्त्री की आयु अट्ठारह वर्ष से कम नहीं होगी ;

*　　*　　*　　*　　*

पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 (1936 का अधिनियम संख्यांक 3) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*

2—पारसियों के बीच विवाह

3. (1) कोई भी विवाह विधिमान्य नहीं होगा, यदि—

पारसी विवाहों की विधिमान्यता के बारे में अपेक्षाएं ।

*　　*　　*　　*　　*

(ग) किसी ऐसे पारसी की दशा में (चाहे ऐसे पारसी ने अपना धर्म या अधिवास बदला हो या नहीं) जिसने, यदि वह पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि वह महिला है तो, अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

द्वितीय अनुसूची

(धारा 6 देखिए)

विवाह का प्रमाणपत्र

....विवाह की तारीख तथा स्थान ।

....पति तथा पत्नी के नाम ।

....विवाह के समय की स्थिति ।

....रैंक या वृत्ति ।

....आयु ।

....निवास ।

....पिता या संरक्षक के नाम ।

....रैंक या वृत्ति ।

....विवाह कराने वाले पुरोहित के हस्ताक्षर ।

....यदि विवाह के पक्षकार 21 वर्ष से कम आयु के हैं तो उनके पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर ।

....साक्षियों के हस्ताक्षर ।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्धरण

*　　　*　　　*　　　*　　　*

अध्याय 2

विशेष विवाहों का अनुष्ठापन

विशेष विवाहों के अनुष्ठापन संबंधी शर्तें ।

4. विवाहों के अनुष्ठापन सम्बन्धी किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्हीं दो व्यक्तियों का इस अधिनियम के अधीन विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि उस विवाह के समय निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

*　　　*　　　*　　　*　　　*

(ग) पुरुष ने इक्कीस वर्ष की आयु और स्त्री ने अठराह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

*　　　*　　　*　　　*　　　*

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 25) से उद्धरण

*   *   *   *   *

हिन्दू विवाह

5. दो हिंदूओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात् :— हिन्दू विवाह के लिए शर्तें ।

*   *   *   *   *

(iii) विवाह के समय वर ने इक्कीस वर्ष की आयु और वधू ने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;

*   *   *   *   *

13. (1)   *   *   *   * विवाह-विच्छेद ।

(2) पत्नी विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगी—

*   *   *   *   *

(iv) कि उसका विवाह (चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं) उसकी पन्द्रह वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था और उसने पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् किन्तु अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है ।

*   *   *   *   *

हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 32) से उद्धरण

*   *   *   *   *

6. हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्तवय के शरीर के बारे में और (अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में उसके अविभक्त हित को छोड़कर) उसकी सम्पत्ति के बारे में भी, निम्नलिखित हैं :— हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक ।

(क) किसी लड़के या अविवाहिता लड़की की दशा में—पिता और उसके पश्चात् माता : परन्तु जिस अप्राप्तवय ने पांच वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी ;

(ख) अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहिता लड़की की दशा में—माता और उसके पश्चात् पिता ;

(ग) विवाहिता लड़की की दशा में—पति :

परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि—

(क) वह हिन्दू नहीं रह गया है ; या

(ख) वह वानप्रस्थ या यति या सन्यासी होकर संसार को पूर्णतः और अन्तिम रूप से त्याग चुका है,

तो इस धारा के उपबन्धों के अधीन अप्राप्तवय के नौसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार न होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "पिता" और "माता" पदों के अन्तर्गत सौतेला पिता

और सौतेली माता नहीं आते ।

*　　*　　*　　*　　*

वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियां ।

9. (1)　　*　　*　　*　　*

(6) विल द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षक के अधिकार जहां कि अप्राप्तवय लड़की है, उसके विवाह हो जाने पर समाप्त हो जाएंगे ।

*　　*　　*　　*　　*

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 78) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*

हिन्दू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य ।

7. किसी भी हिन्दू पुरुष को जो स्वस्थ चित हो और अप्राप्तवय न हो यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले :

परन्तु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अन्तिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो या वह हिन्दू न रह गई हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित्त की है तब तक वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना दत्तक नहीं लेगा ।

स्पष्टीकरण—यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां दत्तक के समय जीवित हों तो जब तक कि पूर्ववर्ती परन्तुक में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए उनमें से किसी की सम्मति अनावश्य न हो, सब पत्नियों की सम्मति आवश्यक होगी ।

हिन्दू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य ।

8. कोई भी हिन्दू नारी, जो स्वस्थचित्त है और अप्राप्तवय नहीं है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है :

परंतु यदि उसका पति जीवित है तो वह अपने पति की सहमति के सिवाय किसी पुत्र या पुत्री को तब तक दत्तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक पति पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुका हो या हिन्दू न रह गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित का है ।

*　　*　　*　　*　　*

विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 33) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*

अध्याय 2

विदेशीय विवाहों का अनुष्ठापन

विदेशीय विवाहों के अनुष्ठापन से सम्बन्धित शर्तें ।

4. ऐसे पक्षकारों का विवाह, जिनमें कम से कम एक भारत का नागरिक हो, विदेश में विवाह अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित किया जा सकेगा, यदि उस विवाह के समय निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

*　　*　　*　　*　　*

(ग) विवाह के समय वर ने इक्कीस वर्ष की आयु और वधू ने अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ; तथा

*   *   *   *   *